न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 62 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 314

1. **बजरंग सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी गांव झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझनू राज.**

–अपीलार्थी

बनाम

1. **भंवर सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 57 नीयर दुर्गा महिला होस्टल, नवलगढ़ रोड सीकर**
2. **रामकंवर पुत्री नारायण सिंह पत्नी किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नं. 12 मोहननगर ए, बिजेश कॉलोनी, गली नं. 4 जोधपुर**
3. **भंवरसिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी सांवली टीबी अस्पताल का सरकारी आवास, सीकर**
4. **स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़**

–प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री पवन चुघ, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री प्रेमचन्द अतरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1
3. श्री दिनेश कुमार कामरा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2–3
4. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी सं. 4

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 26/06/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. अपील प्रकरण(प्र.सं. 08 / 21) पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्र.सं. 288 / 2003 में पारित आदेश दिनांक 06.08.2003 जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा तहसील अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत आवेदन बाबत वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आधार पर अपीलाधीन भूमि चक 3 एलएम का मु.नं. 268 / 482 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि का वसीयत आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश पारित किये गये हैं से व्यथित होकर यह अपील मय प्रार्थना 96 सीपीसी व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरण में प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हैं।
2. अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधित अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण की ओर से अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश किया गया। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ. 41 नि. 27 सिविल प्रक्रिया [illegible] जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील एवं प्रार्थना [illegible]
3. अपीलार्थी अधिवक्ता अपनी [illegible] के पिता नारायण के नाम से अपीलाधीन भूमि [illegible] रूप में आवंटित हुई [illegible] वर्तमान में मृतक नारायण सिंह के अपीलांट व [illegible] सं. 1 से 3 ही प्रथम श्रेणी के जायज वारिसान हैं। अधिनस्थ न्यायलाय द्वारा मृतक नारायण सिंह के वारिसान को सुनावाई का अवसर दिए बिना ही वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी के पिता के द्वारा कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गयी। तथाकथित वसीयत कूटरचित व फर्जी हैं। प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा गवाहान वसीयत से मिलीभगत कर तैयार की गयी हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वसीयत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:53:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

प्रावधानों की उपेक्षा की गयी हैं। साथ ही भू राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकण दर्ज करने से पूर्व अपीलाधीन भूमि पर कब्जा के संबंध में जांच की गयी। वसीयत पर कोई दिनांक भी अंकित नहीं हैं। वसीयत पर नाम आदि पेन से लिखा गये हैं जबकि वसीयत टाईपड हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हैं ना ही अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायलय की पत्रावली में पक्षकार हैं। इसलिए आलौच्य आदेश का ज्ञान अपीलार्थी को नहीं था। अपीलाधीन भूमि में अपीलार्थी का विरासतन हक हिस्सा निहित होने के कारण अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार हैं। अतः प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने हेतु निवेदन किया। अपीलाधीन आदेश विधि विपरीत होने के कारण अपील स्वीकार कर निरस्त करने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी के द्वारा बहस के दौरान न्यायिक दृष्टांतों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की।

4. अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि नामान्तरकरण एवं संक्षिप्त कार्यवाही हैं जिसके द्वारा वसीयत की वैधानिकता की जांच नहीं की जा सकती हैं इसके संबंध में क्षेत्राधिकार मा. सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। अपीलार्थी द्वारा वसीयत को फर्जी व कूटरचित होना बताया हैं इसके लिए इसे सिद्ध करने का भार भी अपीलार्थी पर हैं। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं जिन्हें रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी द्वारा वसीयत को सिविल न्यायालय में चुनौति नहीं दी गयी हैं। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी एक ही परिवार के सदस्य हैं अपीलार्थी को आलौच्य आदेश एवं वसीयत की आरम्भ से जानकारी हैं। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं हैं। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 ने भी प्रत्यर्थी सं. 1 के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा बहस के दौरान न्यायिक दृष्टांतों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी सं. 1 भंवर सिंह के द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष वसीयत आधार पर नामान्तरण दर्ज करने हेतु आवेदन करने पर सार्वजनिक सूचना जारी कर समाचार पत्र में प्रकाशित करवा आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर वसीयत के गवाहान के ब्यान के आधार पर वसीयत को निर्विवाद मानते हुए वसीयत आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से नामान्तरकरण करने के आदेश पटवारी हल्का के नाम पारित किये गये। उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया हैं वे एक ही परिवार के सदस्य तथा मृतक नारायण सिंह के वारिसान हैं। भूमि की वसीयत प्रत्यर्थी सं. 1 भंवर सिंह के पक्ष में हैं जिस पर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गयी हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलार्थी पक्षकार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विधिक हितों की रक्षा हेतु प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती हैं।

6. प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ शपथ पत्र प्रत्यर्थी सं. 2 व 3, प्रमाणित प्रतिलिपि एफआईआर एवं एफआर आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं जो कि अपीलाधीन भूमि से सम्बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निर्णय हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर [illegible] दस्तावेजी की अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाता हैं।

7. प्रत्यर्थी सं. 2 व प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा 100-100 रु. के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में हुई वसीयत को स्वीकार किया हैं। अपीलार्थी द्वारा वसीयत के संबंध में पुलिस थाना अनूपगढ़ में दर्ज करवाई गयी एफआईआर अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता पर पुलिस द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट(एफआर) में अंकित किया हैं कि सम्पूर्ण अनुसंधान से मामला झूठा दर्ज करवाया जाना पाया गया हैं।

8. अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील एवं बहस में वसीयत को कूटरचित होना बताया हैं परन्तु अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। साथ ही अपील की वैधानिकता के संबंध में जांच का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को

न्यायालय जिला कलेक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:53:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर अनूपगढ़

हैं। परन्तु अपीलार्थी द्वारा वसीयत को किसी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौति दिए जाने के संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं।

9. अलौच्य आदेश दिनांक 06.08.2003 का हैं, तथा अपील न्यायालय में दिनांक 22.01.2021 को 17 वर्ष की अवधि पश्चात पेश की गयी हैं। अपीलार्थी द्वारा अपने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अलौच्य आदेश संबंधित ज्ञान अपीलार्थी के पुत्र को दिनांक 22.12.2020 होना अंकित किया हैं। अपीलार्थी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया हैं कि उनके पिता नारायण सिह का देहान्त दिनांक 09.12.2002 को हो चुका हैं। अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में अपनी आयु 80 वर्ष अंकित की हैं, अर्थात अपीलार्थी अपने पिता की मृत्यु के समय 60 वर्ष की आयु के करीब रहे होंगे जिन्हें भूमि संबंधित कार्यवाहीयों का ज्ञान होना स्वभाविक हैं। यदि अपीलार्थी के कथनों पर विश्वास किया जावे तो भी यह संदेहास्पद हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भूमि के विरास्तन नामान्तरकरण हेतु 17 वर्ष तक आवेदन नहीं किया हो। अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई ठोक कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं।

10. इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध शपथ पत्र गवाहान द्वारा वसीयत की उनके समक्ष किये जाने की पुष्टि की गयी हैं। प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 के द्वारा भी वसीयत की पुष्टि की गयी हैं। अपीलार्थी के द्वारा वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौति भी नहीं दी गयी हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय विधिपूर्ण पाया गया हैं।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26/08/24 **को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:53:31 IST
Reason: SelfAttested